प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी : नई दिल्ली

सं. 24(2)/2013—17जी हिंदी | 1649+12=166/ दिनांकः 04.05.2023

08208AYA VAO 2330

परिपत्र

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.04.2023 को आयोजित बैठक में अध्यक्ष महोदया के निर्णय के अनुसार यह कार्यक्रम सभी अधिकारियों में पुनः परिचालित किया जा रहा है, ताकि वे अपने अधीनस्थ एककों के प्रभारियों को आदेश दें कि वे यह सुनिश्चित करें कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हमारे कार्यालय में भी प्राप्त किया जा सके।

सहा. निदेशक(रा.भा

प्रतिः

महानिदेशक(समाचार) के निजी सचिव।

सभी अपर महानिदेशक / निदेशक / उप-निदेशक (आई.टी.) / उप—निदेशक(प्रशा.) / प्रशासनिक अधिकारी।

सभी एकक प्रमुख, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली। 3.

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% क राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	70%	60%	30%
5.	कार्यक्रम हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड़ाइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

	11. Website bilingual	100%	100%	100%
	12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%
(13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections	25% (minimum)	25% (minimum	n) 25% (minimum)
((% of Offices)			
	{II} Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (minimu	um) 25% (minimum)
E F	(III) Joint inspections by the officers concerned& those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.		At least one inspec	ction in a year.
1	14. Meetings regarding Official Language			
	(A) Hindi SalahakarSamiti	02 meetings	in a year	
	(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meeting	s in a year (One m	eeting in every six months)
	(C) Official Language Implementation Committee.	04 meeting	s in a year (One me	eeting in every quarter)
1	5. Translation of Codes, Manuals, Forms,	Procedural literature.	100%	100% 100%
1	6 Sections of the Ministries/ Department	ts/ Offices/ Banks/		
1	In al auta bluma colores a settle a consiste de la colore			

(Minimum Sections)

30%

20%

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/Corporations where there is no concept of sections.

40%

Undertakings where entire work to be done in Hindi.

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%		100%	100%	
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%		100%	100%	
	Additioned and L					
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों	25%	८ (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थि					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	कार्यालयों का निरीक्षण					
	(कार्यालयों का प्रतिशत)					
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%	८ (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण			वर्ष में व	कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें	/ ,				
	(क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति				उकें कें (प्रति छमाही एक बैठक) उकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद		100%		100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों, उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपृ कार्य हिंदी में हों।		40%		30%	20%
					(न्यूनतम अनुभाग)	

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "।" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

PROGRAMME FOR FOREIGN BASED INDIAN OFFICES

(A)	Correspondence in Hindi (Including offices of Central Government located in India/abroad)	50%
(B)	File noting in Hindi	50%
(C)	Number of TOLIC meetings in a year (A TOLIC is to be constituted if 7 or more offices of Central Govt. are located in a	One meeting in a year.
	town)	
(D)	(Number of DOLIC (Departmental Official Language Implementation Committee) meetings in a year.	One meeting in each quarter.
	A DOLIC is to be constituted under the chairmanship of Head of Office.)	
(E)	Availability of electronic equipment including computers with bilingual working facility	100%
(T)		
(F)	Employees /Stenographers doing their typing work in Hindi	Minimum one in each office
(G)	Arrangement of Interpreters	A
		Arrangements of interpreters be made from local language to Hindi & vice-versa in every Mission/
		Embassy.

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ) 50%

(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण

50%

(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए) प्रत्येक वर्ष में एक बैठक

(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए) प्रत्येक तिमाही में एक बैठक

(ड.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता 100%

(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक (छ) दुभाषियों की व्यवस्था प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक

प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए।

वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

The Annual Programme for the year 2023-24 can be downloaded from the Department of Official Language Portal.

www.rajbhasha.gov.in

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी-॥ बिल्डिंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

Published by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, 4th floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001

E-mail: <u>isol@nic.in</u>, <u>techcell-ol@nic.in</u>

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली 110002 द्वारा मुद्रित Printed by the Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi-110002